



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आश्विन 1947 (श10)
(सं0 पटना 1586) पटना, सोमवार, 6 अक्टूबर 2025

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना
4 अक्टूबर 2025

सं० 09/न०वि०बि०भ०उ०वि०-14/2025/10711/न०वि० एवं आ०वि०—कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के पुरातत्व भवन के निर्माण हेतु बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित-2025) की उपविधि-38(11) के आलोक में फर्श क्षेत्र अनुपात (FAR) 1.5 से बढ़ाकर 2.5 की स्वीकृति दी जाती है।

2. बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित-2025) के शेष प्रावधान यथावत प्रभावी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव कुमार श्रीवास्तव,
अपर सचिव।

The 4th October 2025

No. 09/न०वि०बि०भ०उ०वि०-14/2025/10711/UD&HD—In the light of Bye-law-38(11) of Bihar Building Bye-laws, 2014 (Amendment-2025), approval is given to increase the Floor Area Ratio (FAR) from 1.5 to 2.5 for the construction of Puratatva Bhavan of Art Culture and Youth Department, Bihar.

2. The remaining provisions of Bihar Building Bye-laws, 2014 (Amendment-2025) will remain in effect as it is.

By Order of the Governor of Bihar,
Rajiv Kumar Shrivastav ,
Additional Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1586-571+200-डी0टी0पी0

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>